R.S

**Himachal Government Judicial Paper**

No. 514185

वसीयत नामा,

Identified by Shri Prem Dutt ... Katla Pangola Panch ...

Katla Pangola Tehsil Kuchlur ...

मैं कि सूरत राम पुत्र श्री [illegible] सिंह वासी कोटला पंजोला तह. [illegible] जिला [illegible] हिमाचल प्रदेश का हूँ

3/1/88

जो कि बजाहिर की आयु 80 साल या 75 साल की हो चुकी है इस जिन्दगी नापायेदार का कोई भरोसा नहीं कि किस वक्त और किस जगह सफर आखरी पर पड़ जाऊं। मेरे औलाद नरीना नहीं है केवल मात्र एक लड़की श्रीमति रत्नी देवी है, जो कि मेरी सेवा करती है; श्रीमति [illegible] देवी मेरी बीवी तीन साल [illegible] है। मैं अपनी जायदाद की वसीयत करना चाहता हूँ। अतः बजाहिर बसेहत नफ्स व सबात अकल होश हवास खमसा बिना किसी दबाव व बहकावे के बजाये खुद वसीयत करता और लिख देता हूँ कि बाद वफात मेरे मेरी कुल जायदाद मनकूला व गैर मनकूला हर किस्म जहां कहीं भी है या आइन्दा होवे की मालिक केवल मात्र मेरी पुत्री श्रीमति रत्नी देवी मजकूर ही होगी किसी शख्स को मेरी जायदाद से कोई वास्ता न होगा। अगर कोई गलत [illegible] होगा तो वह झूठा होगा और अदालत में [illegible] न होगा। श्रीमति रत्नी देवी मजकूर ही [illegible] की मालिक होगी। और बाद वफात [illegible] होगी, श्रीमति रत्नी देवी मजकूर को फर्ज होगा

№ 514187 **Himachal Government Judicial Paper**

कि वह ना बहाल होगा और न रद्द होगा। और,
उस को नाम व मालका देंगे, मसूरत मेरा श्रीमती
चौंली देवी को कब्जा उसका मजाज़ था इसी लिए
करने का हक़ दिया। और, यह चंद कलिमात बतौर
वसीयत नामा के लिखदन तसदीक़ का दिये कि सनद पर
काम आवे। मिति 3.1.90.

गवाह शुद
श्री प्रेम दत्त पुत्र श्री [illegible] निवासी
वार्ड कोटला
तह. [illegible]
प्रेमदत्त

सूरत राम वल्द
सूरतराम

अल अब्द
श्रीमती लाली देवी [illegible]
[illegible] वार्ड कोटला
[illegible]
लाली देवी